

A
25-9-04

16050

Req-123

Register
File	IV/2529
Serial	82

25/9/04
28/9/04

27/9/04

2-12-04

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चतुर्थ, कोर्ट नं०-15, जौनपुर ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, जौनपुर ।

विषय:-

गृह निर्माण अग्रिम के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माँगी गई सूचना व कागजात के सम्बन्ध में-

महोदय,

विश्व माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-12643/ IV-

2529/एडमिन/ए/ दिनांकित इलाहाबाद 20-08-2004 द्वारा प्रार्थी से भवन निर्माण अग्रिम हेतु के सम्बन्ध में कागजात व सूचनायें माँगी गयी है । प्रार्थी ने सन् 2000 में भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था । इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में माँगी गई सूचना भी मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसमें कागजात व विवरण दिया जाना सम्भव नहीं था । इस समय भी प्रार्थी किसी प्लॉट के कृय करने की कोई संविदा नहीं कर सका है, क्योंकि प्रार्थी के पास धन नहीं है और ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा प्लॉट से सम्बन्धित सूचना व कागजात प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है ।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्लॉट कृय करने की कोई संविदा न किये जाने के कारण प्लॉट का विवरण व उससे सम्बन्धित कागजात प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है । सूचना सादर प्रेषित है ।

जौनपुर जर्जिशाप :

संख्या: 55106 / 16 दिनांक, 16.9.04

महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सेवा में अग्रसारित ।

भवदीय,
Ashok Kumaryadav
16/9/04

अशोक कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चतुर्थ, कोर्ट नं०-15, जौनपुर ।

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर जनपद न्यायाधीश
16.9.04 जौनपुर

22/9/04

1093

DR(M)

Information noted

May file?

Ak Srivastava
13.12.04

Zele
20/12/04

S.O. Admis. M/A

D.R(M)
28-9-2004

D.R.(M)

24 SEP 2004

D.R.(M)

S. Srivastava

11/12/04

Registered

From.

Sri K. C. Srivastava
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Reg-123

To.

The District Judge
Jaunpur

No. 80 12643 IV-2529 Admin (A): Dated 20-8-04

Subject:- Sanction of house building advance to Sri Ashok Kumar Yadav the then Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi now posted as Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur

Sir,

I am directed to say that Sri Ashok Kumar Yadav the then Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi now posted as Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur had applied for sanction of house building advance in the year 2000 and accordingly his application was registered in the office of the Court. He was asked to furnish the details and papers of the plot house intended to be purchased, vide Court's letter no. 4907/IX-2529/Adm (A) dt. 4.4.2000 but he has not furnished the required papers as yet

I am, therefore, to request you to kindly ask Sri Yadav. To furnish the required informations and papers to the court at an early date, as asked for in the court's letter referred to above, so that his case may be proposed for sanction of the advance by the Court.

DR (M)
May issue?
AK Srivastava
12/8/04

Yours faithfully

Zerwahava

Deputy Registrar

Issue
Zerwahava
16/8/04